लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3233

09 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

कपास के निर्यात से राजस्व

3233. श्री प्रतापराव जाधव:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश से निर्यात किए गए कुल कपास का ब्यौरा क्या है और सरकार को इससे कितना राजस्व प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान किसानों द्वारा अधिक लाभकारी फसलों की ओर रुख करने और अंतर्राष्ट्रीय मांग कम होने के कारण देश में कपास के निर्यात और उत्पादन में भारी गिरावट दर्ज की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लंबे समय से चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध का भी देश के कपास निर्यात पर प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे कुछ प्रमुख उत्पादक राज्यों में कपास की खेती का क्षेत्र कम हो रहा है और यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा कपास की खेती करने वाले किसानों को कपास उगाने/पुनः कपास की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने और कम अंतर्राष्ट्रीय मांग का मुकाबला करने के लिए घरेलू बाजार में मांग पैदा करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्रीमती दर्शना जरदोश)

(क), (ख) और (ग): भारत का अपशिष्ट सहित कच्चे कपास का निर्यात इस प्रकार है:

(अमरीकी डालर मिलियन में)

वित्तीय वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	अप्रैल-जून 2022	अप्रैल-जून 2023 (पी)
अपशिष्ट सहित कच्चा कपास	1897.21	2816.24	781.43	354.80	231.26

स्रोत:डीजीसीआईएस(पी):अनंतिम

कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) के तृतीय अग्रिम अनुमान के अनुसार, कपास का क्षेत्रफल और उत्पादन वर्ष 2021-22 के दौरान 123.71 लाख हेक्टेयर और 311.18 लाख गांठ से बढ़कर वर्ष 2022-23 के दौरान क्रमशः 130.61 लाख हेक्टेयर और 343.47 लाख गांठ हो गया है। रूस और यूक्रेन भारत के प्रमुख कपास निर्यात गंतव्य देश नहीं हैं।

(घ) और (ङ): सरकार उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से 15 प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों अर्थात असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के तहत कपास विकास कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। किसानों को विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों, उच्च घनत्व रोपण प्रणाली पर परीक्षणों, पौध संरक्षण रसायनों और बायोएजेंटों के वितरण, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रशिक्षणों पर सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, राज्य राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के पुनर्नवीकरण के लिए लाभकारी दृष्टिकोण (आरकेवीवाई-आरएएफटीएएआर) के तहत कपास विकास कार्यक्रम को सहायता प्रदान कर सकते हैं।

इसके अलावा, आईसीएआर-सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च (सीआईसीआर), नागपुर की कपास पर 'कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्रों के लिए प्रौद्योगिकियों को लक्षित करना - कपास उत्पादकता बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं का बड़े पैमाने पर प्रदर्शन' नामक एक विशेष परियोजना को 41.87 करोड़ रुपये की राशि के साथ वर्ष 2023--24 के दौरान क्रियान्वयन के लिए एनएफएसएम के तहत मंजूरी दी गई है।

कपास की खेती में किसानों के हितों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए, प्रतिवर्ष कपास का मौसम शुरू होने से पहले कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्पादन लागत (ए2+एफएल) का 1.5 गुना के फार्मूले के आधार पर उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) कपास के लिए एमएसपी घोषित किया जाता है ताकि किसानों को उचित पारिश्रमिक अर्थात उत्पादन लागत का कम से कम 50% से अधिक सुनिश्चित किया जा सके।

***